

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक : रीडर/2025/ 9311

दिनांक - 19.11.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 दमाराम 2 नेनाराम पिसरान
मोडाराम 3 राजोदेवी पत्नी
मोडाराम जाति मेघवाल निवासी
मातासर (भूरटिया) तहसील
बाड़मेर ग्रामीण व जिला
बाड़मेर।

1 डूंगराराम पुत्र आसूराम 2 कानाराम पुत्र नवलाराम 3
दानाराम पुत्र शेराराम 4 वीराराम पुत्र मूलाराम 5
पांचाराम पुत्र पूनमाराम 6 रेखाराम पुत्र रामाराम 7
अनाराम पुत्र लाधाराम 8 जोगाराम 9 बाबूलाल 10
रावताराम 11 मूलाराम पिसरान हुकमाराम 12 सिणगारी
पत्नी हुकमाराम जाति मेघवाल निवासी मातासर
(भूरटिया) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 487/2024 दिनांक—

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भूरटिया पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 911/335 रकबा 2.5738 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

मांक :- रीडर/2025/ 9312 - 9315

दिनांक - 19.11.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी दमाराम पुत्र मोडाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी मातासर (भूरटिया) तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी डूंगराराम पुत्र आसूराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी मातासर (भूरटिया) तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर